

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, सुल्तानपुर, जनपद-सुल्तानपुर।
2- अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, फदीनगर(गाजियाबाद)/जलालाबाद(बिजनौर)/
परीक्षितगढ़(मेरठ)/साहनपुर(बिजनौर)।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 30 दिसंबर, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सेक्टर के 'पेयजल हेतु व्यवस्था' योजना के अन्तर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किशत की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 'पेयजल हेतु व्यवस्था' योजना के अन्तर्गत संलग्न सूची में उल्लिखित कार्यों के अनुसार प्रदेश की निम्नलिखित 05 नगरीय निकायों में पेयजलापूर्ति के कार्य हेतु कुल रूपये 726.22 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष प्रथम किशत के रूप में अवमुक्त धनराशि **रु० 363.00 लाख (रूपये सात करोड़ अठारह लाख मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये लाख में)

| क्र०स० | जनपद का नाम | निकाय का नाम | प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति | प्रथम किशत के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि |
|--------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | गाजियाबाद | नगर पंचायत फरीदनगर | 137.96 | 69.00 |
| 2 | बिजनौर | नगर पंचायत जलालाबाद | 142.23 | 71.00 |
| 3 | मेरठ | नगर पंचायत परीक्षितगढ़ | 171.73 | 86.00 |
| 4 | बिजनौर | नगर पंचायत साहनपुर | 115.42 | 57.00 |
| 5 | सुल्तानपुर | नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर | 158.88 | 80.00 |
| | | योग | 726.22 | 363.00 |

(रूपये तीन करोड़ तिरसठ लाख मात्र)

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) तथा विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार /भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी।
- (2) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- (3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
- (4) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें।
- (5) प्रश्रुगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (6) स्वीकृत धनराशि का कोई अंश पोस्ट आफिस/पीएलए में नहीं रखा जायेगा।

- (7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
- (9) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- (10) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (11) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (12) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड पर कार्य का पूर्ण विवरण कार्यदायी संस्था। कार्य प्रारम्भ होने कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
- (13) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को नियमानुसार संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध, कराया जायेगा।
- (14) विषयगत परियोजना अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यों उ०प्र० जल निगम (नगरीय) द्वारा कराया जायेगा।

2- इस संबंध में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/ वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,63,00,000 (रुपये तीन करोड़ त्रैसठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2215011010600 पेयजल हेतु व्यवस्था मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
30.12.2023
(कल्याण बनर्जी),
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 237(1) /2023/नौ-5-2023 /001-Com.No.-1775923, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
- 2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
- 3- संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- संबंधित कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, उत्तर प्रदेश।
- 5- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
- 9- निजी सचिव, माननीय मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 10- सूपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
30.12.2023
(कल्याण बनर्जी),
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

शासनादेश संख्या- 237 /2023/नौ-5-2023 /001-Com.No.-1775923, दिनांक 30.12.2023 का संलग्नक

| क्र०सं० | निकाय का नाम | प्रस्तावित कार्य | आगणित धनराशि | प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि |
|---------|-------------------------------------|---|---------------|---|
| 1 | नगर पंचायत फरीदनगर , जनपद-गाजियाबाद | 1- नगर पंचायत फरीदनगर के अंतर्गत पानी की टंकी की मरम्मत एवं अन्य कार्य। | 30.92 | |
| | | 2- नगर पंचायत फरीदनगर में विभिन्न गलियों में पेयजल हेतु पाईप लाईन विस्तार का कार्य। | 39.48 | |
| | | 3- नगर पंचायत फरीदनगर में 45 एच 0 पी0 क्षमता के पम्प अधिष्ठापन एं पम्प हाउस का निर्माण कार्य। | 31.30 | |
| | | 4- पेयजल व्यवस्था हेतु वॉटर टैंकर कार्य। - 2 नग | 27.20 | |
| | | 5- नगर पंचायत फरीदनगर में वाटर सप्लाई हेतु विभिन्न Dia के विभिन्न पाईप एवं स्लूस वाल्व सप्लाई का कार्य। | 9.06 | |
| | | योग | 137.96 | 69.00 |
| 2 | नगर पंचायत जलालाबाद , जनपद-बिजनौर | 1- 300 x 200 अधिष्ठापन नलकूप कार्य मौ० शेखसराय , जलालाबाद। | 27.84 | |
| | | 2- 300 x 200 अधिष्ठापन नलकूप कार्य मौ० प्रेमनगर/काजियान , जलालाबाद। | 27.84 | |
| | | 3- 200 x 150 एम०एस०/डी० ई-के 07 राइजिंग मेन शिफ्टिंग का विस्तार कार्य मौ० शेखसराय , जलालाबाद। | 29.88 | |
| | | 4- 200 x 150 एम०एस०/डी० ई-के 07 राइजिंग मेन शिफ्टिंग का विस्तार कार्य मौ० प्रेमनगर/काजियान , जलालाबाद। | 21.32 | |
| | | 5- 160 एम०एस०एच०डी०पी०ई० पाईप लाईन विस्तार कार्य निकट रेलवे क्रॉसिंग से निकट आशियाना कॉलोनी तक मौ० कचहरीसराय वार्ड सं 0-13 जलालाबाद। | 5.27 | |
| | | 6- 160 एम०एस०एच०डी०पी०ई० पाईप लाईन विस्तार कार्य निकट कल्हेडी फाटक से निकट ट्रांसफार्मर मौ० कचहरीसराय वार्ड सं 0-13 जलालाबाद। | 5.41 | |
| | | 7- 180 एम०एस०एच०डी०पी०ई०पाईप लाईन विस्तार कार्य निकट छोटे नेता के मकान से निकट देवता मंदिर तक मौ० काजियान/हरिजनबस्ती वार्ड संख्या- 7/1 जलालाबाद। | 5.78 | |
| | | 8- 160 एम०एस०एच०डी०पी०ई०पाईप लाईन विस्तार कार्य निकट तकिये वाली मस्जिद से स्वागत द्वार तक मौ० शेखसराय/कुरैशियान वार्ड सं 0-10/9 जलालाबाद। | 5.08 | |
| | | 9- 160 एम०एस०एच०डी०पी०ई० पाईप लाईन विस्तार कार्य निकट कसौर वाला तिराहा से निकट नहर वाली मस्जिद तक मौ० हरिजनबस्ती वार्ड सं०-1 जलालाबाद। | 3.58 | |
| | | 10- 160 एम०एस०एच०डी०पी०ई० पाईप लाईन विस्तार कार्य निकट निहालू के मकान से निकट श्री इकबाल जैदी के मकान तक मौ० राईयान/कचहरीसराय वार्ड सं०-12/13 जलालाबाद। | 4.77 | |
| | | 11- 160 एम०एस०एच०डी०पी०ई०पाईप लाईन विस्तार कार्य श्री इमतियाज के मकान से निकट श्री अय्यूब नेता के मकान तक मौ० महलसराय/राईयान वार्ड सं०-11/12 जलालाबाद। | 5.46 | |
| | | योग | 142.23 | 71.00 |
| 3 | नगर पंचायत परीक्षितगढ़ , जनपद-मेरठ | 1- नगर में विभिन्न 3 स्थानों पर सोलर ऊर्जा प्लांट एवं समरसेबिल का कार्य। | 51.06 | |
| | | 2- नगर में विभिन्न स्थानों पर पाईप लाईन बिछाने का कार्य। | 6.21 | |
| | | 3- नगर पंचायत परीक्षितगढ़ में स्वच्छ जलापूर्ति हेतु विभिन्न स्थानों पर ऊर्जा प्लांट की आपूर्ति व अधिष्ठापन का कार्य। | 99.21 | |
| | | 4- नगर पंचायत परीक्षितगढ़ में स्वच्छ जलापूर्ति हेतु विभिन्न स्थानों पर सबमर्सिबल पम्प की आपूर्ति व अधिष्ठापन का कार्य। | 15.25 | |
| | | योग | 171.73 | 86.00 |

| | | | | |
|---|--|---|---------------|--|
| 4 | नगर पंचायत साहनपुर , जनपद-बिजनौर | 1- 300 x 200 अधिष्ठापन नलकूप कार्य मौ0 रवापुरी , साहनपुर। | 27.84 | |
| | | 2- 300 x 200 अधिष्ठापन नलकूप कार्य मौ0 सानियान , साहनपुर। | 27.84 | |
| | | 3- 200 x 150 एम0 एस0/ डी0 ई-के 07 राइजिंग मेन शिफ्टिंग का विस्तार कार्य ट्यूबवेल से सुरेन्द्र टेलर तक, मौ0 सानियान साहनपुर- 270 मीटर | 14.03 | |
| | | 4- 200 x 150 एम0 एस0/ डी0 ई-के 07 राइजिंग मेन शिफ्टिंग का विस्तार कार्य ट्यूबवेल से मुस्तकीम तक मौ0 रवापुरी , साहनपुर- 295 मीटर | 14.87 | |
| | | 5- 110 एम0एम0एच0डी0पी0पाईप लाइन विस्तार का कार्य ट्यूबवेल से जिम के पास तक मा0 जाटान , साहनपुर।- 190 मीटर | 2.94 | |
| | | 6- 110 एम0एम0एच0डी0पी0 पाईप लाइन विस्तार का कार्य तारा प्रधान के मकान से कैलाश राही के मकान तक मा0 जाटान , साहनपुर।- 110 मीटर | 2.15 | |
| | | 7- 110 एम0एम0एच0डी0पी0पाईप लाइन विस्तार का कार्य मेन रोड से रईस अहमद व अफजाल के मकान से प्राईमरी स्कूल एवं भूरे के मकान तक मौ0 रवापुरी , साहनपुर।- 450 मीटर | 4.84 | |
| | | 8- 110 एम0एम0एच0डी0पी0पाईप लाइन विस्तार का कार्य हनीफ राईन के मकान से फैजान , मोबीन के मकान तक मौ0 मालियान , साहनपुर।- 300 मीटर | 2.76 | |
| | | 9- 110 एम0एम0एच0डी0पी0 पाईप लाइन विस्तार का कार्य हरिजन धर्मशाला के पास से प्रकाश, सन्तराम व निसार के मकान तक मौ0 रवापुरी , साहनपुर।- 240 मीटर | 6.09 | |
| | | 10- 110 एम0एम0एच0डी0पी0 पाईप लाइन विस्तार का कार्य रवा राजपूत धर्मशाला के पास से नाजिर प्रधान के मकान तक मौ0 रवापुरी , साहनपुर।- 200 मीटर | 5.03 | |
| | | 11- 110 एम0एम0एच0डी0पी0 पाईप लाइन विस्तार का कार्य गुलसनवर के मकान से मेन हाईवे व रशीद खलीफा के मकान तक मौ0 सानियान , साहनपुर।- 380 मीटर | 3.19 | |
| | | 12- 110 एम0एम0एच0डी0पी0 पाईप लाइन विस्तार का कार्य फुरकान राईन के मकान से नफीस डी0 जे0 वाले के मकान तक मौ0 सानियान , साहनपुर।- 120 मीटर | 1.46 | |
| | | 13- 110 एम0एम0एच0डी0पी0 पाईप लाइन विस्तार का कार्य हनीफ के मकान से नफीस व इण्डियन मैरिज हाल तक मौ0 रवापुरी , साहनपुर।- 230 मीटर | 2.38 | |
| | योग | 115.42 | 57.00 | |
| 5 | नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर , जनपद- सुल्तानपुर | नलकूप रिबोर का कार्य 20 एच0पी0 (04 नग) | 158.88 | |
| | योग | 158.88 | 80.00 | |
| | कुल योग | 726.22 | 363.00 | |


 30.12.2025
(कल्याण बनर्जी),
 संयुक्त सचिव,
 उत्तर प्रदेश शासन।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-30/12/2023


प्रेषण संख्या:- 237
आवंटन आदेश संख्या:- 001-237-2023-9-5-2023-001-CN-1775923
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनेत्तर-मतदेय)
01 - जलपूर्ति
101 - शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम
06 - पेयजल हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम | | 35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान | योग |
|-------|-------------------------------------|-----------------|---|-----------------------|
| 1 | मेरठ-4183-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान प्रगामी | 8600000 56543000 | 8600000 56543000 |
| 2 | बिजनौर-4183-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान प्रगामी | 12800000 22600000 | 12800000 22600000 |
| 3 | सुल्तानपुर-4183-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान प्रगामी | 8000000 16600000 | 8000000 16600000 |
| 4 | गाजियाबाद-4183-जिलाधिकारी , --01-- | वर्तमान प्रगामी | 6900000 16900000 | 6900000 16900000 |
| | योग | वर्तमान प्रगामी | 36300000 112643000 | 36300000 112643000 |

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन करोड़ तिरेसठ लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया ग्यारह करोड़ छब्बीस लाख तियालीस हजार


(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव